बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना – 800001
(पंजीयन सं. – 633/2003)
Website : basabihar.in, E-mail Id: infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
* सुशील कुमार
मो.– 9431091417, 7004466338
Email: shushilkumar09@gmail.com

महासचिव,
* खुर्शीद अनवर सिद्दिकी
मो. – 9771048046,
Email:siddiquikhursheed1@gmail.com

उपाध्यक्ष * किशोरी पासवान
* कमलेश सिंह
संयुक्त सचिव * अतुल कुमार वर्मा
* कुमार रविन्द्र
कोषाध्यक्ष * मिथिलेश कुमार साहु
संयुक्त कोषाध्यक्ष * मृणायक दास

पत्रांक 58 दिनांक 6-12-2017

दिनांक– 06.12.2017 को बिहार प्रशासनिक सेवा संघ की केन्द्रीय कार्यकरणी की बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति:– पंजी के अनुसार

बैठक में धान अधिप्राप्ति संबंधी मामले पर चर्चा की गई। सदस्यों को बताया गया कि दिनांक–**08.10.2017** को इस संदर्भ में हुई बैठक में निर्णय लिया गया था कि :–

1. संघ वर्णित प्रावधानों के अनुपालन में संघ के सदस्यों पर हो रही कार्रवाई के संदर्भ में वास्तविकता से राज्य सरकार को अवगत कराया जाएगा।

2. संघ माननीय उच्च न्यायालय में भी विषय वस्तु की वास्तविकता रखेगा।

3. गृह विभाग का पत्रांक 6211, दिनांक– 09.06.2008 एवं पत्रांक 6818, दिनांक– 23.08.2017 में स्पष्ट निदेश है कि "किसी विभाग अथवा संगठन से संबंधित किसी पदाधिकारी/कर्मी के द्वारा कोई ऐसा कार्य किया गया है, जिसमें विभाग/संगठन/सरकार को क्षति हुई है, तब ऐसी परिस्थिति में संबंधित विभाग/संगठन के प्रधान के परामर्श से ही आपराधिक मामला दर्ज करेगा। प्राथमिकी दर्ज करने के समय यह जानना भी आवश्यक होगा कि आरोपित सरकारी अधिकारी/कर्मी का दोष प्रशासनिक नियमों की अवहेलना का है अथवा आपराधिक प्रवृति का है। यदि प्रशासनिक लापरवाही अथवा गलतियाँ हुई हैं तो विभागीय कार्रवाई पर्याप्त हो सकती है। प्राथमिकी दर्ज करने के समय यह अवश्य सुनिश्चित होना होगा कि दुराशय/अपराध भावना (**Mens rea**) भी सरकारी कर्मी के व्यवहार/आचरण (**Conduct**) में निहित था। यह ध्यान में रखना चाहिये कि **Not all losses are criminal losses.**" इस निदेश का अनुपालन नहीं हो रहा है।

वर्त्तमान मामलें में SIT द्वारा भी इस निदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। इस पत्र का अनुपालन कराने हेतु संघ गृह विभाग से अनुरोध करेगा।

उपरोक्त निर्णय के अनुसार संघ के **पत्रांक 49, दिनांक– 01.11.2017** द्वारा मुख्य सचिव से संघ का प्रतिनिधिमंडल मिलकर ज्ञापन सौंपा जिसपर कार्रवाई हो रही है।

संघ के **पत्रांक 51, दिनांक– 13.11.2017** द्वारा गृह सचिव को संघ का प्रतिनिधिमंडल मिलकर ज्ञापन सौंपा जिस पर कार्रवाई चल रही है।

उपरोक्त बिन्दु पर **दिनांक– 20.11.2017** को केन्द्रीय कार्यकारणी की हुई बैठक में चर्चा की गई। बैठक में SIT द्वारा मिलरों के विरूद्ध वसूली की कार्रवाई न करते हुए बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई किये जाने पर रोष प्रकट किया गया।

धान अधिप्राप्ति में संघ के प्रतिनिधि मंडल द्वारा **दिनांक– 01.12.2017** को पुनः मुख्य सचिव से वार्त्ता की गई, जिसमें धान अधिप्राप्ति से संबंधित सभी बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस वार्त्ता में **श्री वकील सिंह, तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, औरंगाबाद** के मामले को भी मुख्य सचिव के समक्ष रखा गया तथा इस मामले से संबंधित सभी बिन्दुओं से उन्हें अवगत कराया गया। मुख्य सचिव द्वारा सहानुभूतिपूर्वक इस मामले को सुना गया तथा इस मामले की अपने स्तर से समीक्षा करने का आश्वासन दिया गया। इस संबंध में मुख्य सचिव द्वारा बताया गया कि धान अधिप्राप्ति मामले में सिर्फ उन्हीं पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जायेगी जिनकी सीधी संलिप्तता धान अधिप्राप्ति में हुई गड़बड़ी में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित है तथा जाँच के नाम पर पदाधिकारियों को प्रताड़ित नहीं किया जायेगा। मुख्य सचिव द्वारा बासा से ऐसे पदाधिकारियों के नाम तथा साक्ष्य की मांग की गई, जिन्हें निर्दोष होने के बावजूद जाँच के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है।

उपरोक्त के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने पर विचार किया गया।

सदस्यों से SMS देकर साक्ष्य की माँग की गई है। प्राप्त होने पर तथ्य के साथ मुख्य सचिव को अवगत कराया जायेगा। इसके साथ–साथ न्यायिक प्रक्रिया भी अपनायी जा रही है।

संघ सदस्यों से अनुरोध करता है जो भी समस्याएँ हों जिला इकाई के माध्यम से संघ को अवगत कराया जाय।

अन्त में अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

6/12/17
(खुर्शीद अनवर सिद्दिकी)
महासचिव

06/12/17
(सुशील कुमार)
अध्यक्ष

प्रतिलिपिः— केन्द्रीय कार्यकारणी के सभी सदस्य/सभी विशेष आमंत्रित सदस्य/सभी आमंत्रित सदस्य/अध्यक्ष/सचिव/सभी जिला इकाई को सूचनार्थ प्रेषित।

6/12/17
(खुर्शीद अनवर सिद्दिकी)
महासचिव